Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी शानू उर्फ शान मौहम्मद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष 06 माह का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त शानू उर्फ शान मौहम्मद पुत्र मौहम्मद शरीफ निवासी ग्राम बडका थाना बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 262/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 11.09.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त शानू उर्फ शान मौहम्मद को दोषी पाते हुए 03 वर्ष 06 माह के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

श्री इन्द्रपाल सिंह एडीजीसी

नि0 राकेश कुमार शर्मा विवेचक

का0 सुनील कुमार कोर्टपैराकार

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनाँक –11.09.2026

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु.अ.सं. 212/2026 धारा 305(A) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की दो जोडी पायल (सफेद धातु) व एक जोडी छोटी बाली (पीली धातु) बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 10.09.26 को थाना छपरौली पर दिनेश शर्मा पुत्र आत्माराम निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.निखिल उर्फ मोधू पुत्र सत्यवीर निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत व 2.बोबी पुत्र नरेश निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा ग्राम बदरखा में वादी के घर में घुसकर सोने एवं चांदी के

जेवरात चोरी करना। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 212/26 में धारा 305(A) बीएनएस में पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु.अ.सं. 212/2026 धारा 305(A) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्त निखिल उर्फ मोधू व बोबी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किया हुई 02 जोडी पायल (सफेद धातु) व एक जोडी छोटी बाली (पीली धातु) बरामद हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है। तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-निखिल उर्फ मोधू पुत्र सत्यवीर निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-बोबी पुत्र नरेश निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- दो जोडी पायल सफेद धातु
- एक जोडी बाली पीली धातु

.गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-म0उ0नि0 रविन्द्री थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-उ0नि0 नवनीत कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।

3-है0का0 213 मोहित सैनी थाना छपरौली जनपद बागपत।

4-है0का0 440 राशिद खान थाना छपरौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 11.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 561/26 धारा 109(1)/118(1)/352/351(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.08.26 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी शिवम पुत्र रामभूल निवासी अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ने प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तगण 1. रजत पुत्र दीपक 2.अर्जुन पुत्र दीपक .3. दीपक पुत्र नामालूम निवासीगण ग्राम नैथला थाना व जिला बागपत 4. एक अज्ञात द्वारा वादी को जान से मारने की नियत से चाकू से हमला करना चाकू पेट में लगना व गाली गलौच करना, जान से मारने की धमकी देना । इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 561/26 धारा 109(1)/118(1)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 26-08-2026 को 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 561/26 धारा 109(1)/118(1)/352/351(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अर्जुन पुत्र दीपक निवासी ग्राम नैथला थाना कोवताली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री उ0नि0 शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत

2-है0का0 435 आलोक थाना कोतवाली बागपत

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 11-09-2021

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनो को सुपुर्द किया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनो को सुपुर्द किया गया है।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक श्री अश्वनी कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2- म0का0 675 मानसी शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 11.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 491/26 धारा 306 बीएनएस मे वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुए लोहे के 05 पीस तथा बसवार 15 पीस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.07.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी शंकर शर्मा पुत्र श्री ब्रह्मदेव शर्मा निवासी गली नं०-3, ग्राम शरफाबाद, सेक्टर-73, नोएडा, जनपद गौतम बुद्धनगर, वर्तमान पता ग्राम नया गांव हमीदाबाद, थाना कोतवाली बागपत, जनपद बागपत द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभियुक्त मनोज उर्फ पुत्र जयवीर निवासी ग्राम खन्दोला, थाना पिलखुवा, जनपद हापुड़ द्वारा वादी का ई-रिक्शा लोडर संख्या UP-16ST-5247 तथा अन्य विद्युत उपकरण चोरी कर लिए गए। इस सम्बध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 491 /26 धारा 306 बीएनएस पजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 491/26 धारा 306 बीएनएस से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुए लोहे के 05 पीस तथा बसवार 15 पीस बरामद हुए है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-+

1.मनोज उर्फ मोनू पुत्र जयवीर निवासी ग्राम खन्दोला थाना पिलखावा जनपद हापुड उम्र 28 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण –

1. लोहा 05 पीस ।

2. बसवार छोटी सफेद धातु 15 पीस।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1-उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-का0 165 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-का0 496 अजय यादव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 11.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तंमचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाऐ। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्व कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाऐगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

समीर पुत्र रफीक निवासी बिलाल मस्जिद मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद हाल निवासी परशुराम कालोनी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र 22 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0- 0174/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर (गाजियाबाद) में पंजीकृत।
2. मु0अ0सं0- 598/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 821 सोनू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-है0का0 650 योगेन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।